न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सरफेसी वाद संख्या–56 / 2019
क्षेत्रीय पदाधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दरभंगा –बनाम– उर्मिला देवी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16/8/19	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा–14 के अन्तर्गत क्षेत्रीय पदाधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दरभंगा के द्वारा ऋण की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति सम्पत्ति के भौतिक दखल–कब्जा दिलाने हेतु दायर किया गया है। वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर संबंधित पक्षकार को सूचना निबंधित डाक के माध्यम से भेजी गयी। वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर संबंधित पक्षकार को सूचना निबंधित डाक के माध्यम से भेजी गयी। विपक्षी इस वाद में उपस्थित हुए हैं, परन्तु कोई भी कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। स्थापित विधि एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधोहस्ताक्षरी में सन्निहित क्षेत्राधिकार के अनुरूप सरफेसी अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत दायर आवेदन पर आवेदक को भौतिक दखल कब्जा दिलाना है, यदि वह उल्लिखित संपत्ति क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो, सरफेसी अधिनियम की धारा–13(2) के आलोक में संबंधित ऋणि / प्रत्याभूति को संबंधित बैंक द्वारा सूचना निर्गत करते हुए समुचित अवसर दिया जा चुका हो तथा वाद में सन्निहित प्रत्याभूति सम्पत्ति का अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत सांकेतिक दखल कब्जा पूर्व में संबंधित बैंक के द्वारा लिया जा चुका हो। प्रश्नगत् वाद में ऋणि प्रत्याभूति की उपस्थिति एवं वाद के गुण–दोष की विवेचना अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार से परे है। अंकनीय है कि AIR 2007 (NOC) 1634 (BOM.) में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्टतः आदेशित है कि *"CMM/DM acting u/S. 14 of the Act is not required to give notice either to the borrower or to the 3rd party. He has to only verify from the bank or financial institution whether notice u/S. 13(2) of the Act is given or not and whether the secured assets fall within his jurisdiction. There is no adjudication of any kind at that stage it is only if the above conditions are not fulfilled that the CMM/DM can refused to pass an order u/S. 14 of the Act by recording that the above conditions are not fulfilled. If these two conditions are fulfilled, he cannot refuse to pass an order u/S. 14".* वाद आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि संबंधित बैंक के नीति निर्धारण के अनुरूप विपक्षी	

उर्मिला देवी, पति–स्व0 राम किशोर पासवान, साकिन–बेलादुल्ला, पो0–लालबाग, निकट रेलवे गुमती नं0–28A, जिला दरभंगा को ऋण दिया गया। प्रतिभूति अदायगी हेतु विपक्षी उर्मिला देवी के द्वारा प्रतिभूति दाता के रूप में उनके नाम से संधारित सम्पत्ति को सुरक्षित जमा राशि के रूप में दिया गया। संबधित प्रतिभूति सम्पत्ति एवं मांग की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रतिभूति सम्पत्ति का विवरण

क्र0	ऋणी / प्रत्याभूति दाता का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	माँग की राशि
1	उर्मिला देवी पति स्व0 राम किशोर पासवान, साकिन–बेलादुल्ला, पो0–लालबाग, निकट रेलवे गुमती नं0–28A, जिला दरभंगा	निबंधित केवाला सं0–12411 दिनांक 20.07.2010, मौजे बेलादुल्ला, परगना–पूरब भीगो, थाना–ल0ना0मि0विश्वविद्यालय, रजिस्ट्री वो जिला–दरभंगा, खाता सं0–99 पु0, 225 नया, खेसरा सं0–166 पु0, 200 नया, थाना नं0–513, रकबा–01 कट्ठा	रूपया– 9.23.166/- outstanding as on 02.02.2019 inclusive of interest up to 28.02.2018

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सामान्य अनुक्रम में विपक्षी उर्मिला देवी के द्वारा ऋण की अदायगी नहीं करने के कारण प्रथमतः इनके एकाउन्ट को एन0पी0ए0 घोषित करते हुए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुरूप विपक्षी को दिनांक **24.04.2018** को नोटिस किया गया, जिसका जवाब विपक्षी के द्वारा नहीं दिया गया। सरफेसी अधिनियम की धारा–13(4) के अनुरूप संबंधित भूमि का सांकेतिक दखल कब्जा दिनांक **28.06.2018** एवं **17.01.2019** को किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि सरफेसी अधिनियम–2002 के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। अतः भौतिक दखल–कब्जा दिलाने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर संधारित तथ्यों का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राधिकृत पदाधिकारी आवेदक द्वारा विपक्षी के बैंक एकाउन्ट को विधिवत् एन0पी0ए0 घोषित करने के पश्चात् विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी है। सूचनोपरान्त संबंधित भूमि का सांकेतिक दखल–कब्जा घोषित किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी को हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि सरफेसी अधिनियम–2002 की धारा–14 के अधीन वाद आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को प्राधिकृत किया जाता है तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के माध्यम से भौतिक दखल–कब्जा दिलाने हेतु एक तिथि निर्धारित करते हुए इसकी सूचना क्षेत्रीय पदाधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दरभंगा

सहित सभी संबंधित पक्षों को देंगे तथा आवश्यकतानुसार पुलिस बल की मांग वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के मांग पर नियमानुसार पुलिस बल आदि की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगे। क्षेत्रीय पदाधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दरभंगा को भी निदेश दिया जाता है कि भौतिक दखल–कब्जा प्राप्त करने में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को समुचित सहयोग प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/अनुमंडल पदधिकारी, सदर दरभंगा/अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा/क्षेत्रीय पदाधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।